"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जनवरी 2012—पौष 28, शक 1933

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2012

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-74/सात-3/2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) सहपठित धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) में शब्द "आवासीय कॉलोनी/परियोजना" के पहले शब्द "आवासीय इकाई/" अंत:स्थापित किया जाए.

Raipur, the 18th January 2012

NOTIFICATION

No. F-6-74/Seven-3/2010.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 258 read with Section 172 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Diversion of Land Rules, 1962 namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In column (2) of serial Number 1 of the Schedule, before the words "Residential Colony/Project" the words "Residential Unit/" shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.